

**राज्यपाल ने राज्य विधान मण्डल का सत्रावसान किया**

लखनऊ: 22 जनवरी, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य विधान मण्डल के सत्रावसान के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। ज्ञातव्य है कि 22 दिसम्बर, 2016 को सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के अधीन राज्यपाल को राज्य विधान मण्डल के सदनों को समय-समय पर सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त है।

-----

अंजुम/ललित/राजभवन (25/25)